कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति
आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
जिला–नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

Phone No . 07781-252881 Fax No.– 252920 Emall- collector.assttw.narayanpur@gmall.com

कमांक/ 1079 /आ0वि0/एकलव्य/2025–26 **नारायणपुर, दिनांक 18 /08 /2025**

निविदा सूचना प्रारूप

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला नारायणपुर द्वारा संचालितएकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छेरीबेड़ा/ओरछा में किराये पर वाहन प्रदाय करने बाबत् सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म एवं अन्य जानकारी सहित सामग्री सूची जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान (कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास) समिति कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों में दिनांक 19.08.2025 से 01.09.2025 तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रू 500/– नगद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है अथवा जिले के वेबसाइट https://narayanpur.gov.in/ पर अवलोकन किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरी हुई मुहरबंद निविदा जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति कार्यालय जिला नारायणपुर में अमानत राशि जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगा दिनांक 08.09.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक **Technical Bid and Financial Bid** पृथक्-पृथक् लिफाफे मे पंजीकृत डाक से जमा कराया जा सकता है। **प्राप्त निविदाएं दिनांक 08.09.2025 को समय 3:00 बजे क्रय समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।**

01. निविदा बिक्री की अंतिम तिथि :-	19.08.2025 से 01.09.2025 समय सायं 05:00 बजे तक
02. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :-	08.09.2025 समय दोपहर 01:00 बजे तक
03. निविदा खोलने की तिथि :-	08.09.2025 समय शाम 03:00 बजे

(कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदया द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त/सदस्य
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला– नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

पृ0 कमांक/ 1080 /आ0वि0/2025–26 नारायणपुर, दिनांक 18 /08/2025

प्रतिलिपि :–

1. **आयुक्त,** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. **कमिश्नर,** बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
3. **कलेक्टर,** जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. **सहायक संचालक,** जिला जनसम्पर्क कार्यालय नारायणपुर को सूचनार्थ एवं स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. **जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,** जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. **प्राचार्य,** एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छेरीबेड़ा/ओरछा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

सहायक आयुक्त/सदस्य
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला– नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति
आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
जिला–नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

Phone No . 07781-252881 Fax No.– 252920 Email- collector.assttw.narayanpur@gmail.com

---

क्रमांक / 1081 / आ0वि0 / एकलव्य / 2025–26 नारायणपुर, दिनांक 18/08/2025

प्रति,

मेसर्स

....

विषयः– **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छेरीबेड़ा तथा ओरछा में किराये पर वाहन लेने हेतु नियम व शर्तें।**

1. वाहन को सेवा प्रदाता कंपनी से चालक के साथ किराये पर लिया जाना है। किराये के रूप में ऊपर उद्धृत दरों में चालक का वेतन शामिल है। किराए के रूप में चालक के वेतन के साथ सभी प्रकार के कर शामिल हैं. मासिक किराये के अलावा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छेरीबेड़ा एवं ओरछा में आधिकारिक उपयोग के लिए वास्तव में तय की गई दूरी के लिए डीजल / पेट्रोल की लागत वहन करेगा।
2. ईंधन खपत बिलों की प्रतिपूर्ति किराए पर लिए गए वाहन के औसत के आधार पर की जाएगी, लगभग 14 किमी/लीटर, जैसा कि कंपनी/वाहन के अधिकृत डीलर से प्रमाणित किया गया हो।
3. ईंधन के लिए शुल्क NESTS द्वारा प्रमाणित औसत के अनुसार ही वहन किया जाएगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक यात्रा के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक लॉगबुक रखी जाएगी और एजेंसी द्वारा बिलों के साथ जमा की जाएगी।
4. वास्तविक पार्किंग शुल्क, यात्राओं के लिए टोल टैक्स की प्रतिपूर्ति मासिक किराये के बिलों के साथ की जाएगी।
5. मोटर वाहन अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियमों जैसे श्रम कानून, सड़क कर, बीमा कानून (जैसे दुर्घटना, चोरी, आग आदि में वाहन का बीमा) के कारण चालक का वेतन, तेल, रखरखाव, मरम्मत, भागों को बदलने और सर्विसिंग दायित्वों सहित अन्य सभी देनदारियों की पूरी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता एजेंसी की होगी।
6. वाहन को 02 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 11-11 महीनों के लिए 24 घंटे के आधार पर किराए पर लिया जाएगा। वाहन पूरे अनुबंध अवधि के लिए विद्यालय में 24X7 आधार पर उपलब्ध रहेगा।
7. वाहन को विद्यालय परिसर में केवल कंपनी के मालिक के जोखिम पर पार्क किया जाएगा।
8. वाहन के चालक को जहाँ भी संभव हो, आवास की उपलब्धता के अधीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आवास उपलब्ध कराया जा सकता है अन्यथा विद्यालय से पहुंच योग्य दूरी पर कंपनी के मालिक द्वारा व्यवस्था की जाएगी।
9. रखरखाव/सर्विसिंग के लिए प्रति माह अधिकतम एक दिन यानी वर्ष में 12 दिन की अनुमति होगी। वाहन को लगातार चार दिनों से अधिक मरम्मत के लिए नहीं भेजा जाएगा। यदि वाहन की अनुपलब्धता ऊपर उल्लिखित निर्दिष्ट अवधि से अधिक अवधि के लिए है तो एजेंसी द्वारा वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। वैकल्पिक वाहन उपलब्ध न कराने पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय द्वारा प्रतिदिन भुगतान किए गए वास्तविक किराये के शुल्क की वसूली की जाएगी।
10. NESTS के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाहन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा और केवल विद्यालय के प्रयोजनों के लिए होगा।

11. अनुमानित क्रय मूल्य का एजेंसी द्वारा राशि 3850 रुपये का EMRS छेरीबेड़ा एवं ओरछा के लिए पृथक-पृथक अमानत राशि Demand Draft के रूप में जमा करना होगा, जिसे अनुबंध के संतोषजनक समापन के बाद सफल निविदाकार की राशि रोककर शेष फर्मों को वापस कर दिया जाएगा जिसे निविदा में पात्र सफल निविदाकार को क्रय आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का 3% सुरक्षा निधि जमा करना होगा। हालांकि, किसी भी उल्लंघन या लापरवाही या किसी भी नियम और शर्तों का पालन न करने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।

12. विद्यालय प्रयोजनों के अतिरिक्त प्रिंसिपल/ स्टाफ भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

13. उपयोगकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित लॉग बुक की फोटोकॉपी के साथ विधिवत समर्थित बिल के विरुद्ध मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

14. भुगतान नियमों के अनुसार टीडीएस की कटौती के अधीन होगा, जो वर्तमान में 02% है।

15. तैनात किए जाने वाले ड्राइवरों के पिछले रिकॉर्ड का उचित सत्यापन किया जाना चाहिए, ड्राइवर की पहचान सरकारी नियमों और मानदंडों के अनुसार प्रमाणित की जानी चाहिए और उनका विवरण इस कार्यालय को प्रदान करना होगा। ड्राइवर के परिवर्तन के मामले में, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

16. सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी को टेलीफोन पर किसी भी ब्रेकडाउन की सूचना देने पर अतिशीघ्र स्टैंडबाय वाहन उपलब्ध कराने की स्थिति में होना चाहिए।

17. किसी वाहन के खराब होने की स्थिति में सभी खर्च एजेंसी को वहन करना होगा। ब्रेकडाउन के बिंदु से यात्रा पूरी करने के लिए टैक्सी का किराया फर्म को वहन करना होगा।

18. वाहन/चालक उपलब्ध न होने की स्थिति में 1000/- (केवल एक हजार रूपये) प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से कटौती की जाएगी।

19. अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से दरों में वृद्धि के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि NESTS द्वारा निर्धारित धनराशि में वृद्धि नहीं की जाती है। एजेंसी को एक लैंडलाइन/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना चाहिए, जिस पर उसे या उसके प्रतिनिधि से किसी भी समय (24 घंटे) संपर्क किया जा सके।

20. चालक के पास मोबाइल फोन भी होना चाहिए। किसी भी कानूनी विवाद, दुर्घटना, चालान आदि से उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों का वहन/भुगतान एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

21. आपूर्ति किए जाने वाले वाहन फर्म/मालिक/साझेदार के नाम पर पंजीकृत होने चाहिए।

22. एजेंसी को वाहन के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा पत्र, पीयूसी, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस आदि की प्रतियां एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को जमा करानी होंगी।

23. किराए पर लिए गए वाहन का किराए की पूरी अवधि के लिए वैध बीमा होना चाहिए।

24. चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस और पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन विद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय किसी भी समय बिना कोई कारण बताए अनुबंध को रद्द करने/वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

25. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय द्वारा चालक की समय की पाबंदी, सफाई, आज्ञाकारिता, तत्परता, उपस्थिति और व्यवहार के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि निविदाकर्ता किसी भी समय आधिकारिक ड्यूटी के दौरान एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय द्वारा निर्देशित कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है, तो अनुबंध बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जाएगा।

26. अनुबंध की शर्तो और नियमों तथा उसके निष्पादन के संबंध में पक्षों के बीच किसी विवाद की स्थिति में, जिला कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला नारायणपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व उभय पक्ष को मान्य होगा।

27. उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन अच्छी स्थिति में होने चाहिए, 02 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए और किराये की तिथि पर 25000 किलोमीटर से अधिक नहीं चले होने चाहिए और उचित सहायक उपकरण आदि से सुसज्जित होने चाहिए। ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य वैधानिक दस्तावेज होने चाहिए।

28. बिल प्रस्तुत करने पर लागू करों की कटौती के बाद, यदि कोई जुर्माना है, तो उसे काटने के बाद मासिक आधार पर भुगतान जारी किया जाएगा।

29. सेवा प्रदाता ने अनुबंध और संबंधित आदेशों/पत्र में उल्लिखित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की सभी शर्तो और नियमों का पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

30. अनुबंध एजेंसी को उल्लिखित सेवा स्तर समझौते और पैकेजों के अनुसार वैधानिक प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा, निविदा स्वीकृत होने पर वाहन उपलब्ध कराने वाले फर्म को 100 रुपये के Non Judicial स्टांप पेपर पर संस्था प्रमुख के साथ शर्तो के अनुरूप अनुबंध निष्पादित करना होगा।

31. वाहन किराए पर लेने के लिए अधिकतम राशि 35000/- चालक के साथ निर्धारित है।

32- निविदादाता निविदा के साथ निम्न सत्यापित प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करेंगे :-

1. वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
2. वाहन का बीमा प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
3. पीयूसी (प्रदूषण नियत्रंण) प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
4. चालक का ड्राईविंग लाईसेंस प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
5. फर्म का जी.एस.टी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
6. पेन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
7. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट।

सहायक आयुक्त / सदस्य
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला– नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

अनुबंध-पत्र 100 रुपये के Non Judicial के स्टांप पेपर पर कराना होगा

आज दिनांक _______ को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छेरीबेड़ा/ओरछा जिला नारायणपुर (छत्तीसगढ़) एवं _____________ (जिसे आगे एजेंसी कहा जायेगा) के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित किया जा रहा है.

इस अनुबंध के तहत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छेरीबेड़ा/ओरछा जिला नारायणपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा आवश्यकतानुसार _____________ से मासिक किराये पर एक अदद चार पहिया कार निम्न विवरण के अनुसार ली जा रही है.

एजेंसी का नाम एवं पता	विवरण	गाड़ी का प्रकार

दिनांक _____ से 31.03.2027 तक रुपये _____ मात्र (रुपये _________) प्रतिमाह, जिसमें चालक का वेतन भी सम्मिलित है, की दर से वाहन किराये पर लिया गया.

गाड़ी के लिए ईंधन का भुगतान 14 किमी प्रति लीटर के अनुसार किया किया जायेगा.

(चालक के साथ)

यह समझौता दिनांक ____ से _____ तक वैध होगा और आपसी सहमति और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छेरीबेड़ा/ओरछा जिला नारायणपुर (छत्तीसगढ़) की आवश्यकता पर, यदि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छेरीबेड़ा/ओरछा जिला नारायणपुर (छत्तीसगढ़) चाहें तो समान नियमों और शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

यह समझौता स्वतः ही अपनी निर्धारित तिथि पर समाप्त हो जाएगा, जब तक कि दोनों पक्ष लिखित रूप में इसकी समाप्ति से पहले इसे नवीनीकृत करने का इरादा न रखें। यदि _____________ इस समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है या यदि यह समझौते के किसी भी खंड का उल्लंघन करता है, तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छेरीबेड़ा/ओरछा जिला नारायणपुर (छत्तीसगढ़) इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

व्यापारी के लेटर पैड पर निविदा प्रस्तुत किया जाना है। लेटर हैड पर फर्म का पता जी.एस.टी. पैन आदि का उल्लेख होना चाहिए।

विद्यालय का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है ....

Quotaion For Vehicle For the Financial Year 2025-26

1. Name & address of the party/Firm--
2. Registration No. of The Firm-----------------------------Valid up to--
3. Earnest Money Deposited Rs.-------------------------------------Vide Bank Draft No. dt---------------
4. Money Receipt No: and date of tender purchase:---

Sl.No.	Name of the article	Per Month Rate with All Taxes
1	Mahindra Scorpio/Bolero,	

SIGNATURE OF THE SUPPLIER

NAME ---------------------------------

SEAL & ADDRESS OF THE FIRM

WHATSAPP NO.-----------------------